आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)
प्रथम तल उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।
Email md@idabihar.com Web-www.idabihar.com Phone/ 0612-2675933, 2675935 Fax: 0612-2675934

(65)

कार्यालय आदेश सं0– IDA/00/110/19 दिनांक 26/2/19

कार्यालय आदेश

विषयः– हाई सिक्योरिटी वार्ड, सेन्ट्रल जेल, बक्सर के एकरारनामा सं0– 43/F2/2011-12 को विखंडित करते हुए संवेदक **M/s Shivam Tower Pvt. Ltd, Bhabhua** कालीकृत करने के संबंध मे।

हाई सिक्योरिटी वार्ड, सेन्ट्रल जेल, बक्सर के निर्माण कार्य हेतु **M/s Shivam Tower Pvt. Ltd, Bhabhua** के साथ दिनांक 27.01.2012 को एकरारनामा किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 26.04.2013 थी। कार्य करने की अवधि मात्र 15 माह थी, किन्तु पूर्ण नहीं होने की स्थिति में उनके द्वारा कार्य को दि0 31.03.18 तक पूर्ण करने एवं भविष्य में आगे कभी भी समय वृद्धि नहीं लेने का शपथ–पत्र 1184, दि0– 16.11.2017 को देने के बाद विचारोपरान्त संवेदक को दिनांक 31.03.2018 तक समय विस्तार दिया गया, परन्तु अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। विगत एक माह से संवेदक द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। संवेदक को पत्रांक 1998/BOT, दि0– 12.10.18, पत्रांक 1559/Tech, दि0– 20.08.18 पत्रांक 1111/BOT, दि0– 19.06.18, पत्रांक 1057/BOT, दि0– 08.06.18, पत्रांक 723/BOT, दि0– 04.05.18 एवं पत्रांक 301/BOT, दि0– 13.02.18 के माध्यम से कई बार कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया, परन्तु उनके द्वारा कार्य में रूचि नहीं ली गई। प्रासंगिक पत्रांक 2157/BOT, दि0– 02.11.18 के माध्यम से निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण का जवाब संवेदक के द्वारा पत्रांक– शून्य, दि0– 20.12.18 के माध्यम से दिया गया है, जो प्राधिकार द्वारा मान्य नहीं है एवं उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं करने का भी उनकी रूचि को परिलक्षित करता है। पत्रांक 2317/BOT, दि0– 26.11.18 के माध्यम से कार्य में रूचि नहीं लेने पर संवेदक पर 01 लाख रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है एवं पत्रांक 376/BOT, दि0– 31.01.19 के माध्यम से संवेदक से 07 दिनों के अन्दर पुनः स्पष्टीकरण की मांग किया गया कि क्यों नहीं उन पर एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं के अन्तर्गत EMD & SD को Forfeit करते हुए कालीकृत करने की कार्रवाई की जाय, जिसका जवाब उनके द्वारा अद्यतन अप्राप्त है।

अतः निदेशानुसार F2 Agreement के Condition of Contract Clause 3(a) के तहत उक्त कार्य के एकरारनामा को विखंडित कर E.M.D & Security Deposite की राशि Forfeit किया जाता है साथ हीं Registration of Contract Rules of Infrastructure Development Authority की कंडिका 10 (a) (ii) एवं (viii) के तहत् उनके फर्म **M/s Shivam Tower Pvt. Ltd, Bhabhua** (निबंधन सं0– IDA/07/Class-II/2013 और IDA/15/Class-III/2018) को 03 वर्ष के लिए कालीकृत किया जाता है।

प्रबंध निदेशक के आदेशानुसार
(संचिका सं0– 16/02/Misc/IDA/17, दि0–14.02.2019)

18/2/19
निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

ज्ञापांकः– 712/Tech दिनांकः– 20-02-19
प्रतिलिपिः– **M/s Shivam Tower Pvt. Ltd.,** C/o – Anand Prakash Singh, Vill+PO – Akhalaspur, Distt. – Kaimur (Bhabhua), Pin – 821101 को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दिनांक 26.02.2019 को स्वंय या अपने प्रतिनिधि को उक्त स्थल की अंतिम मापी के लिए स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आपके अनुपस्थिति मे हीं अंतिम मापी ले लिया जायगा तथा बाद में आपका कोई दावा मान्य नही होगा।

18/2/19
निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)

ज्ञापांकः– 712/Tech दिनांकः– 20-02-19
प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक महोदय, आई0डी0ए0 को सादर सूचनार्थ समर्पित।

18/2/19
निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)